22/2/20

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायलान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायलान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया हैं जो अभिलेख पर हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि गैर सायल सागर उर्फ सागरीया को राजस्थान प्रिजनर्स रिलिज ऑन पैरोल नियम, 1958 के तहत गठित जिला पैरोल सलाहाकार समिति, बाड़मेर की बैठक दिनांक 28.06.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 25000–25000 रूपये की तस्दीकशुदा जमानत एवं इसी कदर 50000/– का निजी मुचलका पेश करने पर 20 दिवस की प्रथम पैरोल स्वीकृत की गई। जिला पैरोल सलाहाकार समिति के इस निर्णय के अनुसरण में गैर सायल सागर उर्फ सागरीया की ओर से

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
	श्री सवाराम पुत्र भोमाराम जाति भील निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर एवं श्री शेराराम पुत्र डायाराम जाति भील निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर द्वारा जमानतें प्रस्तुत की गई एवं बन्दी की ओर से निजी मुचलका निष्पादित किये जाने पर बन्दी को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से दिनांक 05.09.2018 को 20 दिवस के पैरोल पर रिहा किया गया। अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा बन्दी को पैरोल पर रिहा करने के साथ ही नियत अवधि पश्चात दिनांक 24.09.2018 को सांय जेल बन्द होने से पूर्व स्वतः समर्पण करने हेतु पाबन्द किया गया था किन्तु गैर सायल पैरोल अवधि समाप्त हो जाने के बाद नियत दिवस को कारागृह में उपस्थित नहीं होने एवं फरार हो जाने की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाडा, जोधपुर में प्रकरण दर्ज कराते हुए गैर सायलान के विरूद्ध धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह प्रकरण अग्रेषित किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल सागर उर्फ सागरीया ने मार्फत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह अपना जवाब भिजवाते हुए निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के पिता किशनाराम मानसिक रोगी है तथा प्रार्थी के पैरोल पर जाने के दौरान रात्रि को वे बिना बताये चले गये, जिनको खोजने प्रार्थी गांव–दर–गांव गया, उनके ढूंढने के कारण प्रार्थी 5–6 दिन देरी हो गई। प्रार्थी अपने पिता को घर पहूंचा कर उसी दिन पुलिस थाना सिवाना में हाजरी देने हेतु पहुंच गया। प्रार्थी को बंध–पत्र के व्यतिक्रम की गलती क्षमा कराने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। गैर सायलान (जामीन) ने भी प्रार्थी की तात्कालिक पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शर्त भंग के लिए क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया। हमने गैर सायलान के जवाब ... उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। गैर सा... र्फ सागरीया को पैरोल सलाहाकार समिति के निर्णय ... जमानत एवं बंध–पत्र की शर्तों ... पैरोल पर रिहा किया गया था किन्तु उसने जवाब में उल्लेखित ... स्थितियों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कारण नियत दिनांक को कारागृह में समर्पण नहीं किया तथा गैर सायल का उक्त कारण सद्भाविक प्रतीत होता हैं। गैर सायल निर्धारित पैरोल अवधि समाप्ति के बाद फरार हो जाने के उद्देश्य से कारागृह से अनुपस्थित नहीं रहा हैं। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर गैर सायलान के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता का ड्रॉप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप गैर सायलान के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रकट सद्भाविक कारणों के आधार पर ड्रॉप किया जाता हैं। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही होने से फैसल शुमार नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:45:37 IST
Reason: SelfAttested